बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–12.04.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में संभावित पेयजल संकट से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति :–

1. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग,
2. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग
3. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग
4. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभिंयत्रण विभाग
5. सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
6. प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0
7. निदेशक, नौर्थ बिहार पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0
8. प्रबंध निदेशक, पटना नगर निगम, पटना

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन द्वारा बताया गया कि राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है। IMD द्वारा पूर्वानुमान में बताया गया है कि अभी और गर्मी पड़ने की संभावना है। इस कारणवस भूगर्भ जल स्तर में गिराबट की सम्भावना है तथा पेय जल संकट उत्पन्न होने की भी संभावना हो सकती है।

1. <u>लघु जल संसाधन विभाग</u>

संभावित पेय जल संकट के मद्देनजर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि पुराने बोरिंग की मरम्मति करा ली जाय तथा यांत्रिक एवं विद्युत दोष के कारण बंद पड़े ट्यूबवेल की मरम्मति ऊर्जा विभाग से समन्वय कर यथाशीघ्र करा ली जाए। उनके द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि पेय जल संकट की स्थिति होने पर पशुओं को पानी उपलब्ध कराने हेतु जल स्रोतों की पहचान कर ली जाय एवं इसका भौतिक सत्यापन करा ली जाए।

2. <u>पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग</u>

मुख्य सचिव द्वारा पशु शिविर हेतु स्थलों एवं जल स्रोतों की पहचान करने का निदेश दिया गया तथा लघु जल संसाधन के ऐसे जल स्रोतों का भौतिक सत्यापन करने का भी निदेश दिया गया, जिससे जल स्रोतों का भौतिक स्थिति एवं पानी की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की जा सके।

3. <u>नगर विकास विभाग</u>

संभावित पेय जल संकट के मद्देनजर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि एक माइक्रो प्लान बना लिया जाए। नगर विकास विभाग इस हेतु

आकस्मिक योजना तैयार कर ले। शहरी क्षेत्रों में फायर बिग्रेड के गाड़ियों में पानी भरने हेतु Hydrant की सूची को राज्य अग्निशमन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिए जाने का निदेश दिया गया। शहरों में गरीबों को पानी पिलाने हेतु पियाउ सेंटर खोला जाए।

4. <u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>

संभावित पेय जल संकट के मद्देनजर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि कंट्रोल रूम खोला जाय। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि राज्य के कुछ हिस्सों में जल स्तर 2–3'' नीचे चला गया है। जल स्रोतों को चिन्हित कर लिया जाय ताकि पेय जल की समस्या उत्पन्न होने पर टैंकर के माध्यम से निर्बाध जल आपूर्ति किया जा सके। इस हेतु आकस्मिक कार्य योजना तैयार कर ली जाए।

5. <u>ऊर्जा विभाग</u>

प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि फरक्का में पानी कम होने से बिजली आपूर्ति कम हो रही है। तेज पछुआ हवा के कारण विद्युत तारों में रगड़ होने से उत्पन्न चिंगारी के रोकथाम के कारण 11 A.M. से 5 P.M. तक बिद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में बाधित होती है।

निदेशक, नौर्थ बिहार पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 द्वारा बताया गया कि ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत स्पर्शाधात में मृतक को 2.00 लाख रू0 दिया जाता है। विद्युत स्पर्शाघात से हुए पशुक्षति एवं फसल क्षति तथा गृह क्षति में अनुदान नहीं दिया जाता है। मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि विद्युत स्पर्षाघात से हुए मानव क्षति हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के तरह 4.00 लाख रू0 अनुग्रह अनुदान देने हेतु कार्रवाई की जाए।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.04.2016 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा उन्हें विद्युत स्पर्षाघात से हुए गृह क्षति/ मानव क्षति/ पशु क्षति/ फसल क्षति को स्थानीय प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत अधिसूचित करने हेतु कार्रवाई की जाए एवं एस0डी0आर0एफ0 के अनुरूप अनुदान दिया जाय। प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा अनुरोध किया गया कि जबतक आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा विद्युत स्पर्षाघात से हुए मानव क्षति/ पशु क्षति/ फसल क्षति/ गृह क्षति को स्थानीय प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं की जाती तबतक उर्जा विभाग के द्वारा मानव क्षति हेतु 2.00 लाख की जगह 4.00 लाख रू0 अनुदान देने हेतु कार्रवाई की जाए।

मुख्य सचिव द्वारा विद्युत दोष से बंद पड़े राजकीय नलकूपों को शीघ्र चालू करने का निदेश दिया गया तथा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने का भी निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी। अगली बैठक दिनांक 27.04.16 को आहूत करने का निर्णय लिया गया।

ह0/–
मुख्य सचिव,
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014 (खण्ड)...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ कृषि विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, बिहार/ निदेशक, नौर्थ बिहार पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0/प्रबंध निदेशक, पटना नगर निगम, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014 (खण्ड)1590/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 20/4/16

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव